न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

बी0बी0सी0 अपील वाद सं0—03 / 2016—17

पंजाब नेशनल बैंक, गांधी मैदान शाखा, पटना

बनाम

मे0 होटल टूरिस्ट द्वारा पार्टनर केदार नाथ झुनझुनवाला, गांधी मैदान, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

10-9-18

आदेश

प्रस्तुत अपील वाद पंजाब नेशनल बैंक द्वारा मुख्य प्रबंधक, पूर्वी गांधी मैदान शाखा, थाना—गांधी मैदान, पटना द्वारा गृह नियंत्रक सह अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर के बी0बी0सी0 वाद सं0 15/02 मेसर्स होटल टूरिस्ट केदारनाथ झुनझुनवाला बनाम शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, गांधी मैदान, पटना में दिनांक 28.09.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध बी0बी0सी0 एक्ट—1982 की धारा—24 के अंतर्गत दिनांक—31.05.2016 को अपील दाखिल किया गया।

अभिलेख अवलोकन किया। दिनांक 17.06.2016 को विपक्षी द्वारा वकालतनामा सहित हाजरी पड़ी। दिनांक 02.06.2017 को विपक्षी की ओर से बी0बी0सी0 एक्ट की धारा—16 के अंतर्गत आवेदन दाखिल किया गया। दिनांक 19.05.2018 को उभय पक्ष उपस्थित हुए। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बकाये मकान के किराये की मांग किया गया। विपक्षी द्वारा दिनांक 02.06.2017 को बी0बी0सी0 की धारा—16 के अंतर्गत दाखिल आवेदन को स्वीकृत करते हुए, गृह नियंत्रक सह अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर द्वारा निर्धारित किराये को मकान मालिक को राशि को एक मुश्त भुगतान करते हुए, प्रत्येक माह लगातार भुगतान करने का निर्देश दिया गया। साथ हीं यह भी कहा गया कि आदेश के अवहेलना के स्थिति में अपील आवेदन को खारिज कर दिया जायेगा।

दिनांक 06.08.2018 को अपीलकर्ता के द्वारा उपस्थित होकर मौखिक अनुरोध किया गया कि 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर बकाया किराया को भुगतान कर दिया जायेगा।

दिनांक 10.09.2018 को उभय पक्ष उपस्थित हुए। परन्तु बकाये किराया के भुगतान के सम्बन्ध में विपक्षी ने बताया कि उन्हें अभी तक किराया की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा धारा—16 के तहत आदेश दिए जाने के बावजूद किराया भुगतान नहीं दिया रहा है। धारा—16 के प्रावधानान्तर्गत आदेश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में निर्धारित किराया के विरूद्ध दायर अपील को खारिज किया जा सकता है।

इस प्रकार सम्यक विचारोपरान्त अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

10/9/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

10/9/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।